भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 712
उत्तर देने की तारीख 12/12/2022

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

†712. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) कार्यक्रम को लागू करने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) इस कार्यक्रम पर कितनी लागत खर्च होगी और केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी कितनी होगी;
(घ) अंडमान और निकोबार समूह द्वीप सहित देश में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है; और
(छ) वयस्कों को साक्षरता अभियान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" (एनआईएलपी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता घटक के तहत पांच वर्षों के दौरान 5.00 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के पांच उद्देश्य हैं: (i) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, (ii) महत्वपूर्ण जीवन कौशल, (iii) व्यावसायिक कौशल विकास, (iv) बुनियादी शिक्षा और (v) सतत शिक्षा।

(ख): वर्तमान में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) को लागू करते समय सरकार के सामने प्रमुख चुनौती सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ सभी राज्यों में एकल नोडल एजेंसियों (एसएनए) और कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के सभी बैंक खातों को खोलना और मानचित्रण करना है। यह वित्त मंत्रालय के संशोधित प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां जारी करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। चुनौती मौजूद है क्योंकि इसके कार्यान्वयन का पहला वर्ष है।

(ग): पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27) के लिए □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ (एनआईएलपी) का कुल वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है, जिसमें से 700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा है और 337.90 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और हिमालयी राज्यों, जहां केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान की पद्धति 90:10 के अनुपात में है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, जहां अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुपात 60:40 है और अन्य सभी बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय अंशदान 100 प्रतिशत है। पीएफएमएस और राज्य के खजाने के माध्यम से निधियाँ प्रदान की जाती है।

(घ), (ङ) और (छ): देश में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

पहला कदम लाभार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों की पहचान करना है। लाभार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों (वीटी) का सर्वेक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों को आधार के रूप में उपयोग करके किया जा रहा है। स्वयंसेवी शिक्षकों को ऑनलाइन मोड में सीखने के मॉड्यूल को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, पाठ्य सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ (सीएनसीएल) द्वारा संचालित होती है। शिक्षण और अधिगम की सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। नमूना मूल्यांकन मॉड्यूल भी दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 11 मार्च, 2022 के पत्राचार के माध्यम से एक रोडमैप के साथ-साथ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/लोक मीडिया और पारस्परिक मीडिया सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भागीदारी और उपयोग द्वारा पर्यावरण निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में पहुंचाने और ऐसा माहौल बनाने जिससे कि संभावित साक्षरता स्वयं सेवकों और शिक्षार्थियों को प्रेरित और उत्साहित किया जा सके और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुदाय के नेताओं, पीआरआई पदाधिकारियों, महिला मंडल, नागरिक समाज संगठन और शैक्षणिक संस्थान की सक्रिय भागीदारी के साथ कई कार्यनीतियों को भी अपनाने के लिये संवेदनशील बनाया गया है।

(च): जैसा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) चालू वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू हुआ है, इसलिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि लागू नहीं है। तथापि, चालू वर्ष (2022-23) के दौरान नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित धनराशि **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

"नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. सुभाष रामराव भामरे और श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा दिनांक 12.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 712 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चालू वर्ष (2022-23) के दौरान नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित धनराशि:

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	(रूपए राशि में)		
		कुल	केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
1	2	3	4	5
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52,72,423	52,72,423	0
2	आंध्र प्रदेश	8,54,47,700	5,12,68,620	3,41,79,080
3	अरुणाचल प्रदेश	95,87,188	86,28,469	9,58,719
4	असम	13,64,31,360	12,27,88,224	1,36,43,136
5	बिहार	18,95,97,200	11,37,58,320	7,58,38,880
6	चंडीगढ़	82,18,366	82,18,366	0
7	छत्तीसगढ	3,98,20,300	2,38,92,180	1,59,28,120
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	69,09,058	69,09,058	0
9	गोवा	45,08,660	27,05,196	18,03,464
10	गुजरात	8,44,55,800	5,06,73,480	3,37,82,320
11	हरियाणा	3,78,36,500	2,27,01,900	1,51,34,600
12	हिमाचल प्रदेश	2,07,75,820	1,86,98,238	20,77,582
13	जम्मू और कश्मीर	4,97,39,300	4,47,65,370	49,73,930
14	झारखंड	5,96,58,300	3,57,94,980	2,38,63,320
15	कर्नाटक	9,87,39,160	5,92,43,496	3,94,95,664
16	केरल	1,99,82,300	1,19,89,380	79,92,920
17	लद्दाख	1,50,22,800	1,50,22,800	0
18	लक्षद्वीप	33,18,380	33,18,380	0
19	मध्य प्रदेश	10,92,53,300	6,55,51,980	4,37,01,320
20	महाराष्ट्र	12,61,15,600	7,56,69,360	5,04,46,240
21	मणिपुर	1,22,05,804	1,09,85,224	12,20,580
22	मेघालय	1,32,37,380	1,19,13,642	13,23,738
23	मिजोरम	43,69,794	39,32,815	4,36,979
24	नागालैंड	1,21,46,290	1,09,31,661	12,14,629
25	दिल्ली एनसीटी	1,62,13,080	97,27,848	64,85,232
26	ओडिशा	7,15,61,100	4,29,36,660	2,86,24,440
27	पुदुचेरी	41,11,900	24,67,140	16,44,760
28	पंजाब	4,27,96,000	2,56,77,600	1,71,18,400
29	राजस्थान	11,22,29,000	6,73,37,400	4,48,91,600
30	सिक्किम	55,99,750	50,39,775	5,59,975
31	तमिलनाडु	9,83,42,400	5,90,05,440	3,93,36,960
32	तेलंगाना	8,54,47,700	5,12,68,620	3,41,79,080
33	त्रिपुरा	1,60,14,700	1,44,13,230	16,01,470
34	उत्तर प्रदेश	34,03,66,000	20,42,19,600	13,61,46,400
35	उत्तराखंड	3,00,99,680	2,70,89,712	30,09,968
36	पश्चिम बंगाल	11,42,12,800	6,85,27,680	4,56,85,120
	कुल	**208,96,42,893**	**136,23,44,266**	**72,72,98,627**

*****